दो युवक गिरफ्तार

छबड़ा (निसं)। पुलिस ने स्कूली छात्राओं के साथ छेडछाड़ करने के मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया। सीआई राजेश खटाना ने बताया कि राजकीय बालिका स्कूल के प्रबंधक द्वारा उनको शिकायत की थी कि स्कूल के सामने कुछ ताला-चाबियों को रिपेयर कार्य वालों की दुकानों पर कुछ असामाजिक तत्व आए-दिन बैठे रहते हैं तथा स्कूल की कुछ लड़कियों को देख फब्तियां कसते हैं। इस सम्बंध मे पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की तो मौके पर फारूख पुत्र अयुब निवासी संजय कॉलोनी व ईम्तियाज पुत्र मकबूल निवासी जोशी कॉलोनी अपनी अस्थाई दुकान पर मिले, जिन्हे समझाईश कर उक्त दुकानों को स्कूल से दूर लगाने की हिदायत दे रहे थे कि जिस पर उक्त युवको ने मौके पर शांति भंग कर उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण मौके से ही दोनों को डिटेन कर गिरफ्तार किया।

कमल ने आज फिर रक्तदान किया

कोटा, (निसं)। कोटा के जे.के. लोन अस्पताल में भर्ती थैलीसीमिया रोग से पीड़ित झालावाड़ निवासी 12 वर्षीय अक्षरा पुत्री मुकेश सुमन के लिए फिर कमल कुमार इंसा ने एसडीपी डोनेट कर पुण्य का काम किया है।

■ 40 दिन में 7 बार एसडीपी एवं एक बार खूनदान किया

सेवादार राजेन्द्र सिंह हाड़ा के अनुसार विगत 40 दिनों में कमल कुमार इंसा ने 7 बार एसडीपी और एक बार रक्तदान किया है। जैसे ही कमल को डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा की हेल्प लाइन से सूचना मिलती है वह अपने सारे काम छोड़कर अनजान लोगों की जान बचाने एवं मदद करने के लिए दौड़ पड़ता है।

कमल का कहना है कि डेरा सच्चा सौदा के गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की पावन प्रेरणा से ही यह सब कुछ सम्भव हो पाता है और इस प्रकार सेवा करने से बहुत अच्छा महसूस होता है।

मनीष मीणा की हत्या के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अभी तक फरार

बून्दी (निसं)। बूंदी शहर में सोमवार रात्रि को हुए शिक्षक मनीष मीणा की हत्या मामले में पुलिस ने 48 घंटों के भीतर ही बुधवार रात्रि को तीन आरोपियों सोनू पुत्र किशन बैरवा, दीपक पुत्र भवानी शंकर खटीक और विशाल पुत्र छितर रैगर को बूंदी के भीमलत के जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मामले में मुख्य आरोपी मुख्य आरोपी बरखेड़ा थाना नमाना निवासी गुरुप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र जरनेल सिंह अभी भी पुलिस की पकड से बाहर है, पुलिस टीम मुख्य आरोपी की भी तलाश में जुटी हैं। पुलिस ने गुरुवार दोपहर को तीनों आरोपियों को भारी पुलिस लवाजमे के साथ घटना स्थल पर ले जाकर मौके स्थल की शिनाख्त कराकर व शहर में पैदल परेड कराई। इस केस में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और अपराधियों की सार्वजनिक परेड से लोगों में अपराध के प्रति सख्त संदेश गया है।

मुख्य आरोपी पर 25000 का इनाम घोषित:- बून्दी पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार ने बताया कि 4 नवंबर की रात्रि को बूंदी शहर में लंका गेट अम्बेडकर सर्किल पर चाकू मारकर मनीष की हत्या करने के मामले में जिला स्तर पर गठित टीमों द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुये घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा मुख्य आरोपी गुरुप्रीत सिंह उर्फ गोपी पर 25000 रुपये, आरोपी विशाल वर्मा, दीपक वर्मा व मोनू पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

बूंदी पुलिस ने शिक्षक मनीष मीणा की हत्या के तीन आरोपियों को गिरफ्त में लिया।

अति. पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा के सुपरविजन में उपाधीक्षक बूंदी अरुण कुमार द्वारा कार्यवाही करते हुये भीमलत के जंगलों में फरारी काट रहे वांछित तीन आरोपी विशाल वर्मा, दीपक वर्मा व मोनू को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उक्त तीनों आरोपियों विशाल वर्मा पुत्र छीतर लाल (22) निवासी नैनवां रोड गेट नं. 3 पानी की टंकी के पास रजत कोलोनी, दीपक वर्मा पुत्र भवानीशंकर उम्र 25 साल निवासी मेहरो का मोहल्ला खटकड हाल निवासी मालनमासी बालाजी मंदिर के पीछे बून्दी और मोनू पुत्र श्रीकिशन उम्र 26साल निवासी ग्राम सोरण जिला बून्दी से अनुसंधान जारी है।

■ पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की शहर में पैदल शिनाख्त परेड कराई

डीएसपी मिश्रा ने बताया कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुरुप्रीत सिंह उर्फ गोपी, जो नमाना थाना क्षेत्र के बरखेड़ा का निवासी है, अब भी फरार है। पुलिस की टीम लगातार गुरुप्रीत को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है और उम्मीद है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

आरोपियों की शहर में पैदल परेड से जनता में संदेश:- गिरफ्तारी के बाद गुरूवार को पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की शहर के मुख्य बाजारों में हथकडी लगाकर पैदल परेड कराई गई। खोजा गेट से लेकर लंका गेट तक यह परेड निकाली गई, जिसमें आरोपी बार-बार कहते सुनाई दिए, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। पुलिस ने इसे एक सख्त संदेश के रूप में प्रस्तुत किया जिससे अपराधियों में भय और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढे। इसके बाद पुलिस कट्रोल रूम से अदालत तक पैदल परेड कराई जिसे लोग टकटकी लगाये हैरत से देते नजर आये।

अंबेडकर भवन का लोकार्पण किया

छबड़ा (निसं)। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत पुश्कर नगर में 48 लाख रुपए की लागत से तैयार अंबेडकर भवन का समारोहपूर्वक विधायक प्रतापसिंह सिंघवी ने विधिवत् फीता काटकर षुभारंभ किया। यहां पालिकाध्यक्ष केसी जैन, वरिश्ठ भाजपा नेता हिम्मतसिंह सिंघवी, देहात मण्डल अध्यक्ष अषोक गौड़, नगर उपाध्यक्ष संजय नामदेव, महामंत्री हरिओम गौड़, पूर्व पालिकाध्यक्ष बिट्ठलदास गुप्ता, श्याम कचनारिया आदि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सिंघवी ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान का निर्माण कर राष्ट्र के सभी वर्गों को न्याय दिलाया। बाबा साहब ने सकारात्मक सोच के साथ लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो कार्य किए, उसी से राष्ट्र को मजबूती मिली। उन्होंने बाबा साहब की सोच को और अधिक मजबूत करने का आव्हान किया। विधायक सिंघवी ने कहा कि वह आमजन के स्नेह, अपनत्व व आशीर्वाद से छबडा विधानसभा से सातवीं बार विधायक बने हैं। यहां की जनता मेरे लिए सर्वोपरि हैं और पार्टी कार्यकर्ता पार्टी को मां मानते हुए कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं। सिंघवी ने ईओ संदीप गहलोत की प्रशंसा की और कहा कि इन्होने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए विगत 3 वर्शो से तैयार अम्बेडकर भवन का लोकार्पण करवाया। उन्होने कहा कि इसे साफ-सुथरा रखना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी हैं। इस अवसर पर पार्शद, जनप्रतिनिधिगण, पालिका कर्मी मौजूद थे।

न्यायालय जिला न्यायाधीश कोटा, (राज.)

सिविल मिसलेनियस क्रमांक : CM 139/2024

(1) रागिनी मिश्रा पत्नी विवेक मिश्रा पुत्री स्व. शीतला चरण पाण्डेय, उम्र 47 वर्ष, निवासी- 2/81, सेक्टर-डी, कानपुर रोड़, ग्रीन मेडिकल स्टोर, एलडीए कॉलोनी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) (2) गोल्डी ढल पत्नी विरेन्द्र सिंह ढल पुत्री स्व. शीतला चरण पाण्डेय, उम्र 45 वर्ष, निवासी- 4-ए-4, केशवपुरा सर्किल के पास, सर्वोदय अस्पताल के सामने, तलवण्डी, केशोपुरा, कोटा राजस्थान (3) दिव्या पाण्डेय पुत्री शीतला चरण पाण्डेय, उम्र 37 वर्ष, निवासी- 2-एफ-17, रंगबाड़ी योजना, पावर हाउस के पास, केशोपुरा, कोटा राजस्थान ...प्रार्थीगण

– बनाम –

(1) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- आईएल टाउनशिप, कोटा (2) एक्सिस बैंक शाखा- तलवण्डी, कोटा राजस्थान (3) आईसीआईसीआई बैंक, शाखा-तलवण्डी, कोटा राजस्थान (4) ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक, शाखा- घोड़े वाला सर्किल, कोटा राजस्थान (5) जन साधारण ...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

जनरल नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि (1) रागिनी मिश्रा पत्नी विवेक मिश्रा पुत्री स्व. शीतला चरण पाण्डेय, उम्र 47 वर्ष, निवासी- 2/81, सेक्टर-डी, कानपुर रोड़, ग्रीन मेडिकल स्टोर, एलडीए कॉलोनी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) (2) गोल्डी ढल पत्नी विरेन्द्र सिंह ढल पुत्री स्व. शीतला चरण पाण्डेय, उम्र 45 वर्ष, निवासी- 4-ए-4, केशवपुरा सर्किल के पास, सर्वोदय अस्पताल के सामने, तलवण्डी, केशोपुरा, कोटा राजस्थान (3) दिव्या पाण्डेय पुत्री शीतला चरण पाण्डेय, उम्र 37 वर्ष, निवासी- 2-एफ-17, रंगबाड़ी योजना, पावर हाउस के पास, केशोपुरा, कोटा राजस्थान के द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अपने माता-पिता मृतक मोहिनी पाण्डेय, मृतक शीतला चरण पाण्डेय उर्फ एस.सी. पाण्डेय निवासीगण- 2-एफ-17, रंगबाड़ी योजना, कोटा राजस्थान की मृत्यु पश्चात स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- आईएल टाउनशिप, आईसीआईसीआई बैंक- शाखा- तलवण्डी, कोटा, ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक शाखा- घोडे वाला चौराहा, कोटा, एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा- तलवण्डी, कोटा में मौजूद बचत खातों में जमा राशि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के पक्ष में 1/3-1/3 हिस्से का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा गया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस बाबत् कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 06 माह 12 वर्ष 2024 को प्रस्तुत होकर आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा उक्त दिनांक गुजर जाने के बाद उक्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णीत कर उनके हक में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।

न्यायालय के आदेश से
वरिष्ठ मुंसरिम
मोहर
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा (राज.)

वकील से मारपीट के तीन आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिये

कोटा, (निसं)। महावीर नगर थाने में वकील से मारपीट करने के पुराने मामले में वकील द्वारा न्यायालय में पेश किए गए परिवाद पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पीड़ित वकील हेमंत ने 3 महीने पुराने मारपीट के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 6 न्यायालय में परिवाद पेश किया था।

पीड़ित वकील हेमंत द्वारा पेश किए गए परिवाद पर न्यायालय ने महावीर नगर थाने के हेड कांस्टेबल गिल्ला सिंह, कांस्टेबल मालीराम स्वामी, कांस्टेबल सुशील बिश्नोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए।

ये था मामला:- 27 जुलाई की रात्रि को करीब 11 बजे वकील हेमंत अपने एक दोस्त के साथ केशवपुरा चौराहे पर चाय पी रहा था। उसी दौरान पुलिस की ट्रेकर वहां आई और उन्हें वहां से जाने को कहा वकील अपने दोस्त के साथ चाय पीकर निकल ही रहा था कि उसी दौरान पुलिसकर्मियों ने वकील की गाड़ी की चाबी निकाल ली और जबरन उसे उठाकर महावीर नगर थाने ले गये जहां वकील से मारपीट की और उसे लॉकअप में बंद कर दिया था।

पीड़ित वकील हेमंत ने मामले में कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली थी, और न्यायालय में परिवाद पेश किया था जिसमें महावीर नगर थानाधिकारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था। जिस पर न्यायालय ने तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिये है।

स्टोन मर्चेन्ट विकास समिति का दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित

कोटा, (निसं)। स्टोन मर्चेंट विकास समिति रामनगर पत्थर मंडी कोटा का दीपावली मिलन समारोह एवं आमसभा की मीटिंग समिति के भवन पर संपन्न हुई। जिसमे अध्यक्ष गणेश गुप्ता द्वारा सभी सदस्यों को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई एवं विगत 3 वर्षों के कार्यकाल के समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

सचिव राकेश पाटोदी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विगत वर्षों में हुए विकास कार्यों एवं सामाजिक समरसता के कार्यों का ब्योरा प्रस्तुत किया एवं दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की, कोषाध्यक्ष मनोज जैन द्वारा आय व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया जिसको पूरे सदन ने ध्वनिमत से पारित किया एवं पूरे सदन ने अध्यक्ष गणेश गुप्ता, महासचिव राकेश पाटोदी कोषाध्यक्ष मनोज सेठी एवं कार्यकारिणी को धन्यवाद दिया।

स्टोन मर्चेन्ट विकास समिति का दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ।

समारोह मे पूर्व अध्यक्ष उत्तम अग्रवाल, घनश्याम गुप्ता, पारस काला, विजय केडिया भी उपस्थित थे। समारोह में आने वाले 2 वर्षों के लिए कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। जिसमें अध्यक्ष राकेश पाटोदी, महामंत्री मनोज जैन सेठी, उपाध्यक्ष शिवचरण गुप्ता, कोषाध्यक्ष दीनदयाल डागा सहमंत्री अशोक शर्मा को सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित किया गया। जिसका सभी ने समर्थन किया एवं पूरी कार्यकारिणी को बधाई दी। मंच का संचालन ओम शर्मा द्वारा किया गया और निर्विरोध निर्वाचन के लिए नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने सदन का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश पाटोदी ने संस्था के सदस्यों को आश्वस्त किया की पत्थर मंडी की मूलभूत सुविधाओं अतिक्रमण किए गए प्लाटों से कब्जा हटाने रामनगर स्टोन मंडी की डीएलसी दर को संशोधित कराकर कम करवाने, कारीगरों की समस्या के बारे में नया आयाम स्थापित करने का आश्वासन दिया एवं पूरा करने का भरोसा दिलाया जिसे सदन ने भी ताली बजाकर समर्थन दिया। कोटा व्यापार महासंघ कोटा के महासचिव अशोक माहेश्वरी ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी।

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-1424 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-07.11.24

नगर विकास न्यास कोटा की विश्वकर्मा नगर ऑटोमोबाईल योजना के भूखंड/आवास संख्या 467 का आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 29.05.2005 को मै. के.एन.ई. ईन्टण इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रो. श्री अब्दुल कदीर पुत्र श्री रहमतुल्ला को किया गया था। मै. के.एन.ई. ईन्टण इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रो. श्री अब्दुल कदीर पुत्र श्री रहमतुल्ला द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गोकुल चंद द्वारा रजि. विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2016 को श्रीमती श्वेता निझावन पत्नी श्री अमित कुमार को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास 467 योजना विश्वकर्मा नगर ऑटोमोबाईल का नाम हस्तान्तरण श्रीमती श्वेता निझावन पत्नी श्री अमित कुमार के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/8019 दिनांक: 7.08.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री गोपीलाल निवासी भूखंड संख्या-116 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या-116 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट का कार्यालय मण्डी कमेटी चम्बल योजना कोटा के क्रमांक : एफ/1(3)क म। विकास। 60 1503 दिनांक 08.02.1961 से श्री गोपीलाल शर्मा पुत्र श्री गनपत लाल को किया गया। श्री गोपीलाल शर्मा पुत्र श्री गनपत लाल ने उक्त भूखंड की एक वसीयत श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री गोपीलाल के नाम पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 15.04.2010 से की गई है। श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री गोपीलाल के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4101 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 6.11.24

आवास संख्या 1-बी-2 तलवण्डी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री प्रफुल्लचन्द गुप्ता पुत्र श्री कल्याणचन्द गुप्ता को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री प्रफुल्लचन्द गुप्ता पुत्र श्री कल्याणचन्द गुप्ता के नाम दिनांक 24.11.1990 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री प्रफुल्लचन्द गुप्ता पुत्र श्री कल्याणचन्द गुप्ता की मृत्यु दिनांक 23.12.2006 को एवं इनकी पत्नी श्रीमती कौशल्या देवी की मृत्यु दिनांक 16.12.2020 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री राकेश खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री प्रफुल्ल चन्द, श्रीमती चन्द्रकला खण्डेलवाल पुत्री स्व. श्री प्रफुल्ल चन्द पत्नी श्री केदार खण्डेलवाल द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड आलेखित कर दिनांक 11.09.2024 को श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री प्रफुल्ल चन्द गुप्ता के पक्ष में किया गया। श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री प्रफुल्ल चन्द गुप्ता द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-बी-2 तलवण्डी कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र रिलीज डीड के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड के आधार पर श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री प्रफुल्ल चन्द गुप्ता के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री प्रफुल्ल चन्द गुप्ता के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री प्रफुल्ल चन्द गुप्ता के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4100 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 6.11.24

आवास संख्या 4-वाई-26 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री दयाराम को किया गया। इस आवास का नियमितिकरण श्री मनोज कुमार टेलयाणी पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार के नाम दिनांक 30.03.2010 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री मनोज कुमार टेलयाणी पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 18.05.2018 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री मनोज कुमार टेलयाणी पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा उक्त आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 23.05.2018 को मुख्तारनामा आम आलेखित कर श्री शशांक द्विवेदी पुत्र श्री रामेश्वर दयाल द्विवेदी को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्री शशांक द्विवेदी पुत्र श्री रामेश्वर दयाल द्विवेदी मुख्तार आम श्री मनोज कुमार टेलयाणी पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा मुख्तार आम की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 31.07.2018 को श्रीमती हेमलता शर्मा पत्नी श्री अखिलेश शर्मा को किया गया। श्रीमती हेमलता शर्मा पत्नी श्री अखिलेश शर्मा का नाम दिनांक 15.07.2024 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्रीमती हेमलता शर्मा पत्नी श्री अखिलेश शर्मा द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 30.07.2024 को श्रीमती आशा गुप्ता पत्नी श्री मनीष कुमार गुप्ता को किया गया। श्रीमती आशा गुप्ता पत्नी श्री मनीष कुमार गुप्ता द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-वाई-26 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती आशा गुप्ता पत्नी श्री मनीष कुमार गुप्ता के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती आशा गुप्ता पत्नी श्री मनीष कुमार गुप्ता का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती आशा गुप्ता पत्नी श्री मनीष कुमार गुप्ता के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4095 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 6.11.24

आवास संख्या 2-आर-7 रंगबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री ओमप्रकाश पोरवाल पुत्र श्री श्रीनिवास पोरवाल को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री अनिल कुमार रायजादा पुत्र श्री माहेश्वरी दयाल रायजादा के नाम दिनांक 28.02.2005 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री अनिल कुमार रायजादा पुत्र श्री माहेश्वरी दयाल रायजादा द्वारा दिनांक 10.03.2005 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री अनिल कुमार रायजादा पुत्र श्री माहेश्वरी दयाल रायजादा द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 09.06.2011 को श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बाबू लाल अग्रवाल को मुख्तारनामा आम नियुक्त किया गया। श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बाबू लाल अग्रवाल मुख्तार आम श्री अनिल कुमार रायजादा पुत्र श्री माहेश्वरी दयाल रायजादा द्वारा मुख्तार आम की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 14.11.2011 श्री मनीष सिंघल पुत्र श्री महावीर प्रसाद सिंघल एवं श्री महावीर प्रसाद सिंघल पुत्र श्री रामकुमार सिंघल को संयुक्त रुप से किया गया। श्री मनीष सिंघल पुत्र श्री महावीर प्रसाद सिंघल एवं श्री महावीर प्रसाद सिंघल पुत्र श्री रामकुमार सिंघल का नाम दिनांक 19.01.2011 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मंडल अभिलेख में संयुक्त रुप से दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री मनीष सिंघल पुत्र श्री महावीर प्रसाद सिंघल एवं श्री महावीर प्रसाद सिंघल पुत्र श्री रामकुमार सिंघल द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 20.09.2024 को श्री संजय गुप्ता पुत्र श्री रामदयाल गुप्ता को किया गया। श्री संजय गुप्ता पुत्र श्री रामदयाल गुप्ता द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 30.09.2024 को श्रीमती सुशीला सिंघल पत्नी श्री महावीर प्रसाद सिंघल को किया गया। श्रीमती सुशीला सिंघल पत्नी श्री महावीर प्रसाद सिंघल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-आर-7 रंगबाड़ी कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सुशीला सिंघल पत्नी श्री महावीर प्रसाद सिंघल का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सुशीला सिंघल पत्नी श्री महावीर प्रसाद सिंघल का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सुशीला सिंघल पत्नी श्री महावीर प्रसाद सिंघल के नाम दर्ज कर दिया जावेगा। उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

अब तीसरी आंख से न्यायालय परिसर की गतिविधियों पर नजर रहेगी

कोटा, (निसं)। अभिभाषक परिषद कोटा की ओर से अदालत परिसर में महिला पक्षकारों व आमजन की सुरक्षा तथा परिसर में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए केईडीएल के सहयोग से नई पहल की है।

अभिभाषक परिषद के आग्रह पर केईडीएल ने महिला सशक्तिकरण व उनकी सुरक्षा के प्रति अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए अदालत परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाएं है। अदालत परिसर में लगाए गए इन सीसीटीवी कैमरों का गुरुवार को मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने लोकार्पण किया।

इस मौके पर केईडीएल के सीओओ शांतनु भट्टाचार्य, हैड कमर्शियल रविशंकर शुक्ला, हैड टेक्निकल अनोमित्रो ढाली भी मौजूद थे। अभिभाषक परिषद कोटा के अध्यक्ष मनोज पुरी ने बताया कि कोटा न्यायालय परिसर में अभिभाषक एवं आमजनता का आना-जाना होता है। अदालत परिसर में आए दिन चोरियां होती थी तथा कई बार महिला पक्षकारों व महिला अधिवक्ताओं के साथ भी अभद्रता की घटनाएं हो चुकी है।

कोटा न्यायालय में लगे सीसीटीवी कैमरों का जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने लोकार्पण किया।

न्यायालय परिसर में बिना काम के घुमते असामाजिक तत्वों पर भी नजर नहीं रखी जा पा रही थी। इसे देखते अभिभाषक परिषद कोटा ने महिला पक्षकारों व आमजन की इस समस्या को दूर करने की पहल करते हुए कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सहयोग से न्यायालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाएं है। अब इस तरह की घटनाओं पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर रखी जा सकेगी।

जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू

कोटा, (निसं)। रानपुर, कोटा में स्थित जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा सत्र 2024-25 से विविध पाठ्यक्रमों में नियमित अध्ययन के साथ-साथ संघ लोकसेवा आयोग व राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का शुभारम्भ शुकवार को किया जा रहा है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी एवं विश्वविद्यालय के चेअरपर्सन आर.डी. मीना द्वारा क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने हेतु जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने की दृष्टि से एक मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रज्ञान अकादमी, जयपुर के निदेशक बी.एल. मीणा सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी राकेश जायसवाल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के डिप्टी क